

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 3125 / 1997 में पारित आदेश में स्पष्ट है कि जो महाविद्यालय वर्ष 1987 के पूर्व स्थापित हो चुके हैं। उन महाविद्यालयों पर बिहार होमियोपैथिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान (विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम 1987 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वर्ष 1987 के पूर्व स्थापित होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय को राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। वर्ष 1987 के पूर्व स्थापित होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में सी०सी०एच० अपने स्तर से कराये गये निरीक्षण के आधार पर महाविद्यालय को मानक के अनुरूप पाये जाने पर नामांकन की अनुमति प्रदान कर सकता है।

2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

हो/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 16 / एम1-62 / 2016 -/२९१(टॉक्यू) / पटना, दिनांक— २०/१२/२०१६

प्रतिलिपि— सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार / प्राचार्य, डॉ० यदुवीर सिन्हा, होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दरभंगा / कुल सचिव, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०/१२/१६

सरकार के अवर सचिव

R.L.